

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/8282-यू/2024/409 दिनांक: 22/04/2024

आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006-। दिनांक 16.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री अविनाश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/स्वीपर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाडा को उनकी स्वयं की प्रार्थना व संबंधित अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर परिवीक्षा अवधि का दिनांक 03.11.2022 से 03.12.2022 तक 31 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

नोट:- कार्मिक द्वारा परिवीक्षाकाल में 30 दिवस से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने के कारण 31 दिवस की परिवीक्षा काल अवधि में अभिवृद्धि की जाती है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 22/04/2024

क्रमांक :- ई-18/एम/8282-यू/2024/409
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाडा।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. श्री अविनाश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/स्वीपर को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.29 07:21:39 IST
Reason: Approved